"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2012—श्रावण 8, शक 1934

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक 02/चार/राष्ट्रपति-चु./2012/962.—उपराष्ट्रपति निर्वाचन-2012 के लिये मतों की गणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 480/2012/CC & BE, दिनांक 30 जुलाई, 2012 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 2012—8 श्रावण, 1934 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2012/सी.सी. एण्ड बी.ई.—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 7 अगस्त, 2012 (मंगलवार) को ऐसे दिन के रूप में नियत करता है जिसको उस दिन सायं 6.00 बजे उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में कमरा नम्बर 63, संसद भवन, नई दिल्ली में मतों की गणना की जाएगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 30th July, 2012—8 Sravana, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2012-CC & BE.—In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 7th August, 2012 (Tuesday), as the day on which and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2012, shall take place in the office of Returning Officer in Room No. 63 of the Parliament House, New Delhi.

By Order,

Sd/-
(K. N. BHAR)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.